

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर- नरेश कुमार शर्मा  
आई0ए0एस0



प्रा0 पत्र सं0 82/2017

एयू.स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए0यू0 फाईनेन्सर्स(इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19 -ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है।

...प्रार्थी

बनाम

श्री महेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री किशन लाल मकान नंबर-46, तलवाडी ढाणी, मोरोली, तहसील सिविल जिला दौसा राजस्थान वगैरह

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थित : 1. श्री इनायत हुसैन अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

संदेह में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू.स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड जयपुर राजस्थान ने अप्रार्थी महेंद्र सिंह गुर्जर वगै0 को 18,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी। उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

प्रार्थी बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी की ओर से श्री इनायत हुसैन अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति श्रीमति किलाणी देवी पत्नी श्री किशन लाल की सम्पत्ति जो खसरा नं0 3687, ग्राम खवारावजी तहसील नॉंगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढाँचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अंग हैं। जिसकी माप लगभग 600 वर्ग मीटर है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसले शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक: 13 मार्च, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

